

बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

आदेश

संख्या:-2/ई⁷-मु0स्था0-104/2012-7553...../विभाग द्वारा विधि स्नातकों को विधि परामर्शी के पद पर प्रतिमाह ₹35,000/- (पैंतीस हजार रुपये मात्र) एकमुश्त मानदेय पर अनुबंध के आधार पर रखते हुए मुख्यालय एवं भिन्न-भिन्न जिला में आवंटित किया गया है।

2. क्षेत्रीय उत्पाद कार्यालयों में कार्यरत विधि परामर्शी के मानदेय का भुगतान मुख्यशीर्ष 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, मांग सं0-38 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0002-जिला प्रभार, विपत्र कोड-38-2039.00.001.0002.28 के अंतर्गत विषयशीर्ष 0002.28.02 संविदा सेवाएँ के मद से एवं मुख्यालय में कार्यरत विधि परामर्शी के मानदेय का भुगतान मुख्यशीर्ष 2039- राज्य उत्पाद शुल्क एवं उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, मांग सं0-38 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0001-अधीक्षण, विपत्र कोड-38-2039.00.001.0001.28 के अंतर्गत विषयशीर्ष 0001.28.02 संविदा सेवाएँ के मद से किया जायेगा।

3. मुख्यालय सहित क्षेत्रीय उत्पाद कार्यालयों में विषयशीर्ष 28.02 संविदा सेवाएँ के मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह फरवरी 2022 तक मानदेय के भुगतान हेतु पर्याप्त राशि आवंटित है।

4. पूर्व निर्गत विभागीय आदेश संख्या-6950 दिनांक-02.12.2021 को उक्त हद तक संशोधित समझा जायेगा।

5. इसमें अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(विनय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 2/ई⁷-मु0स्था0-104/2012 7553

पटना, दिनांक:- 27.12.21

प्रतिलिपि:-1. महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वरीय कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रभारी पदाधिकारी, सी0एफ0एम0एस0 कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. बजट शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा, आयुक्त उत्पाद के सचिव/सभी सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/सभी अधीक्षक मद्यनिषेध/श्री मौतम दास, आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1 
27.12.21
सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।